न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:— श्री मती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :— 05 / 2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 बिदामी पत्नी सुखाराम जाति बावरी निवासी चौकीदारो की ढाणी, बिलावास, तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		1 महावीरचन्द पुत्र सम्पतराज 2 सज्जनराज पुत्र सम्पतराज जातिगण महाजन निवासीगण चण्डावल नगर तह0 सोजत जिला पाली 3 तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत तह0 सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:—

1. श्री सुरेन्द्र वैष्णव अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री गजेन्द्र कुमार मेहता अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।
3. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत स्वयं उपस्थित।

-: निर्णय :- दिनांक :— 29/08/24

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम चण्डावल पटवार हल्का चण्डावल, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 825 रकबा 3.3890 है0 की जोत में नया मार्ग हमारे खातेदारी खसरा नंबर 808 रकबा 0.8000 है0 एवं खसरा नंबर 808 / 1 रकबा 0.4500 है0 में जाने हेतु 30 फुट चौड़ा मार्ग आशय रखते हैं। जिसे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया हैं। प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि में पहुंच का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा मुख्य सडक से निकटतम रास्ता प्रार्थीया प्राप्त करने का अधिकारी हैं। प्रार्थीया के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थीया नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार हैं। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र पेश कर सरहद मौजा ग्राम चण्डावल तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 825 रकबा 3.3890 है0 की जोत में नया मार्ग हमारे खातेदारी खसरा नंबर 808 रकबा 0.8000 है0 एवं खसरा नंबर 808 / 1 रकबा 0.4500 है0 में जाने हेतु 30 फुट चौड़ा मार्ग दिलाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र कुमार मेहता ने वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा बिल्कुल ही गलत, दुर्भावनापूर्वक, पूर्व में मार्ग उपलब्ध होते हुए भी केवल अप्रार्थीगण को ब्लैकमेल कर राशि ऐंठने की नीयत से प्रस्तुत किया हैं, जबकि प्रार्थीया ख.नं. 814, 815, 816, 813 किस्म गै0मु0 रास्ता, 803, 812, 804, 805 से होकर ख.नं. 2796 / 781 किस्म गै0मु0 रास्ता से

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

आने--जाने का पुराना रास्ता उपलब्ध है। जिसे संलग्न परिशिष्ट 'क' से 'च' में लाल स्याही से दर्शाया गया है। अत: जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा जबाबुल जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा झूठे एवं मनगढत तथ्य पेश किये है। अप्रार्थीगण द्वारा ख.नं. 813 किस्म गै0मु0 रास्ता में से होकर ख.नं. 814, 812, 803 में से नजदीकतम् मार्ग होना अंकित किया है, जबकि ख.नं. 803, 812, 814 कृषि भूमि न होकर औद्योगिक प्रयोजनार्थ कृषि प्रसंस्करण इकाई में संपरिवर्तन सुदा भूमि हैं, जिससे कानूनन् रास्ता नहीं लिया जा सकता है। प्रार्थीया द्वारा आवेदित रास्ता ही निकटतम रास्ता है, इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। पर्याप्त अवसर के बावजूद अप्रार्थी सं0 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यातिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/रीडर/2024/1242 दिनांक 29.08.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 चण्डावल, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि ग्राम चण्डावल के ख.नं. 808 रकबा 0.80 हैक्टेयर किस्म चा.सो./बजड, ख.नं. 808/1 रकबा 0.45 है0 किस्म बजड़ में आवागमन हेतु प्रार्थीया द्वारा ख.नं. 825 रकबा 3.3890 है0 में से रास्ते की मांग की गई हैं। उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर कोई वृक्ष (किमती) अथवा पक्का निर्माण नहीं हैं। उक्त खसरा एन.एच. 162 पर स्थित हैं एवं गांव की आबादी से एक कि0मी0 दूर हैं। प्रस्तावित रास्ता जिसकी लम्बाई × चौडाई, 265 मीटर × 4 मीटर = 1060 वर्गमीटर हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 182616/- रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार (182616/- रू0 × 2 × 0.1060 है0 = 38714.6/- रूपये बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 825 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत चण्डावल की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस वकुलाय एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त किया कि प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि में पहुंच का कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, प्रार्थीया एक वृद्ध महिला है, जिसे अपनी जोत तक पहुंच तथा खेती कर अपनी आजीविका चलाने

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

एवं मुख्य सडक से निकटतम रास्ता प्राप्त करने का अधिकार है। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने व्यक्त किया कि प्रार्थीया द्वारा बिल्कुल ही गलत, दुर्भावनापूर्वक, पूर्व मे मार्ग उपलब्ध होते हुए भी केवल अप्रार्थीगण को ब्लैकमेल कर राशि ऐंठने की नीयत से प्रस्तुत किया है, प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने विधिसम्मत रास्ते दिये जाने मे कोई आपत्ति नही होना व्यक्त किया हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस तकुलाय उभयपक्षो को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत मे से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है.।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 चण्डावल, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, जबकि निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 825 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम चण्डावल पटवार हल्का चण्डावल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 825 रकबा 3.3890 है0 की जोत में नया मार्ग हमारे खातेदारी खसरा नंबर 808 रकबा 0.8000 है0 एवं खसरा नंबर 808/1 रकबा 0.4500 है0 की कृषि भूमि में से प्रस्तावित रास्ता जिसकी लम्बाई × चौड़ाई, 265 मीटर × 6 मीटर = 1590 वर्गमीटर के सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि ख0न0 825 में से (182616/– रू0 × 2 × 0.1590 है0 = 58071.88 /– रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, [illegible]-पाली

क्र0सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो / काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)
01.	825 चा.दो जा. दो. बजड	3.3890 है0	महावीरचन्द पुत्र सम्पतराज हिस्सा– 1/2 जाति – महाजन सा.देह खातेदार	265 मी0× 6 मी0 = 0.1590 है0	29035.94 /–रू
			सज्जनराज पुत्र सम्पतराज हिस्सा– 1/2 जाति – महाजन सा.देह खातेदार		29035.94 /–रू

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला पाली (राज.)

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 29/08/24 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली